

गजस्थान सरकार कार्यालय तहसीलदार, सवाईपाधोपुर जिला- सवाई माधीप्र



मूल निवास प्रमाण

क्रमाक: RJ10/2012/Misc/Digital Bonafide/13291

दिनाया: 12-11-2012

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनुज जैन पुत्र श्री महेश चन्द जैन निवास- श्योपुर वस स्टैण्ड सवाई माधोप्र, राजस्थान का मूल निवासी है।

आज दिनांक 12-11-2012 को यह प्रमाण-पत्र भेरे डिजिटल हस्ताक्षर से प्रचलित किया गया।

- 1 राजस्थान सरकार के मृह्(ग्रूप-9) विभाग की अधिमृतना राष्ट्रया प-15(1)32/गृह-9/61/पार्ट-2 दिनाक 17 12 2009 के द्वारा मृत निवास प्रमाण-पत्र व्यक्त करने हेत हिन्दिश हस्तावर के उपयोग को मान्यता प्रदान की गयी है।
- 2 राजस्थान सरकार के गृह(ग्रुप-9) विभाग की आज्ञा संख्या प-15(1)32/गृह-9/61/पार्ट दिनांक 28 अगस्त 2012 के द्वारा मुल निवास प्रमाण-पत्र जारी करने की मान्यता प्रदान की है। उन्त परिपत्र के तहत जिला क्लेप्टर, उप खण्ड अधिकारी, सहायक जिलाकीत व तहसीलदार मूल निवास प्रमाण पत्र आरी करने हेतु अधिकृत किया हुआ है।
- उच्त मृत निवास प्रमाण पत्र रीकृषिक और तकनीकी प्रिष्ठा चंस्थाओं में प्रवेश, योग्यता छात्रयति के लिये वावेदन करने,
 केन्द्र/संजय सेवाओं में नियोजन प्रयोजनी एवं भूमि आदि के आयंटन इत्यादि के प्रयोजनार्थ हेतु उपयोग में लाया जा सकता है।
- मार्थी द्वारा प्रस्तृत कियो गए मूल आयेदन पत्र एवं सम्बक्तित दस्तायेण जिले के संबंधित प्रदत्त अधिकारी जिसके हस्तायर से यह जारी किया जायेगा के कार्यालय में निरीष्ठण/परीष्ठण के लिए उपलब्ध होंगे।
- 5. मूल निवास एक बार ही बनाया जावेगा। लेकिन प्रमाण पत्र गुम हो जाने या बृतियस्त हो जाने पर दोहरी पति, प्रमाण पत्र में नाम या पता बदलने पर संशोधित प्रति तथा आयु वृद्धि के अनुसार पहचान के लिए नए फोटो के साथ नवीनीकृत प्रति (उथत नवीनीकृत प्रमाण पत्र दन वर्ष के उपरान्त ही किया जा सकेगा) बनवाया जा सकता है।
- सभी प्रयोजनार्य प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतियों काम में जी जा सकती है।
- 7. प्राची को जारी किये गये मुल निवास प्रमाण-पत्र का सत्यापन www.emitra.gov.in पर स्थित on-line verification section से online सत्यापित किया जा सकता है।

तहसीलदार, सवाईमाधीप्र

Signature yalid

Digitally sig

Location: Rajasthan